रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 332] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1974/श्रावण 9, 1896

No. 332] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1974/SRAVANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July 1974

S.O. 463(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Tamil Nadu is hereby published:—

ORDER NO. 21

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) we hereby determine, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81,170,330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Tamil Nadu as thirty-nine (39) of which seven (7) seats shall be reserved for the

Scheduled Castes and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as two hundred and thirty-four (234) of which forty-two (42) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and two (2) seats for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.
TARUN KUMAR BASU, Memeber.
T. SWAMINATHAN, Member.

NEW DELHI,
Dated July 30, 1974.

[No. 282/74(2)]
By order,
P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1974

का० आ० 463(अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन तमिलनाडु राज्य के बारे में किया गया आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश सं० 21

परिसीमन अधिनियम 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये तमिलनाडु राज्य को लोक सभा में आबंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या उन्तालीस (39) जिसमें से सात (7) स्थान अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित होंगे और इस राज्य की विधान सभा के लिये समनुदेशित किये जाने वाले स्थानों की कुल संख्या दो सौ चौंतीस (234) जिनमें से बयालीस (42) स्थान अनुसूचित जातियों के लिये और दो (2) स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे, एतद्द्वारा अवधारित करते हैं ।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।
तरुण कुमार बसु, सदस्य ।
टि० स्वामीनाथन्, सदस्य ।

नई दिल्ली,
तारीख 30 जुलाई, 1974

[सं० 282/74(2)]
आदेश से,
पी० आई० जेकब, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1974